

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-10 ए/2014  
संस्थापन दिनांक-22.01.2014  
फाईलिंग क्र. 234503002702014

1-पंचमसिंह पिता बिरजूसिंह, उम्र-45 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम कंदई, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-शंकरसिंह पिता बिरजूसिंह, उम्र-50 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम कंदई, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-बुन्दरसिंह पिता बिरजूसिंह, उम्र-38 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम कंदई, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-सुन्दरसिंह पिता बिरजूसिंह, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम कंदई, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **वादीगण**

**विरुद्ध**

1-अकलसिंह पिता बरवार, उम्र-57 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम कंदई, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-म.प्र राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर,  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-तहसीलदार बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **प्रतिवादीगण**

**:-//निर्णय//:-**

**(आज दिनांक-14/03/2016 को घोषित)**

1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा कंदई प.ह.नं. 31, रा.नि.मं. बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर-193/4, 194/4 कुल रकबा 1.28 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित

किया जावेगा) में से वादीगण को रकबा 0.64 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल पुरुष बरतू के दो पुत्र बिरजू एवं बरवार थे, जो फौत हो चुके हैं। स्वर्गीय बिरजू के वारसान वादी क्रमांक—1 से 4 है तथा स्वर्गीय बरवार का पुत्र प्रतिवादी क्रमांक—1 अकलसिंह है। विवादित भूमि उभयपक्ष की पैतृक सम्पत्ति है, जिसके 0.64 डिसमिल भूमि पर वादीगण का कब्जा विगत 50—60 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें मकान एवं हाताबाड़ी है। विवादित भूमि की शेष भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा सम्पूर्ण विवादित भूमि को हड़पने की नियत से कुल 1.28 एकड़ भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवा लिया है तथा वादीगण का नाम उनके हिस्से की 0.64 डिसमिल भूमि पर दर्ज नहीं कराया गया है। वादीगण पैतृक भूमि में से आधी भूमि पर कई वर्षों से काबिज है, किन्तु उन्हें राजस्व अभिलेख की जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी क्रमांक—1 ने राजस्व न्यायालय से असत्य आधार पर अपने पक्ष में धारा—250 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत आदेश करवा लिया है। वादीगण ने अपनी सम्पत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तो अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 के अवलोकन से उन्हें प्रथम बार जानकारी हुई कि विवादित भूमि मूल पुरुष बरतू के नाम दर्ज थी। वादीगण ने विवादित भूमि में से 0.64 डिसमिल भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा एवं उस पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इन्कार करते हुये लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण ने विवादित भूमि पर वर्तमान में जबरन कब्जा कर लिया था, इस कारण उसके द्वारा वादीगण का कब्जा हटाये जाने हेतु तहसीलदार बैहर के समक्ष आवेदन दिया गया था। राजस्व न्यायालय ने विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा हटाने का आदेश दिया है। विवादित भूमि पर वादीगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। अतएव वादीगण का वादपत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 की ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है तथा वे पूर्व से एकपक्षीय हैं।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित हैं :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा कंदई, प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं-193/4, 194/4 कुल रकबा 1.28 एकड़ भूमि में से वादीगण को रकबा 0.64 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या विवादित भूमि में से रकबा 0.64 एकड़ भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

### वादप्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

7— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर का आदेश दिनांक-10.05.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 पेश की है जिसमें तहसीलदार बैहर द्वारा धारा-250 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश को यथावत् रखा गया है। उक्त आदेश से यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में तथा वादी पंचमसिंह के विरुद्ध में विवादित भूमि पर वादी पंचमसिंह का कब्जा हटाये जाने हेतु बेदखली वारण्ट जारी किया गया है। उक्त बेदखली वारण्ट की प्रति प्रदर्श पी-2 प्रकरण में संलग्न है। वादीगण ने उक्त के अलावा मूल पुरुष बरतू के नाम विवादित भूमि सहित अन्य भूमि अधिकार अभिलेख वर्ष में दर्ज होने के संबंध में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश की है। विवादित भूमि में वर्तमान खसरा फार्म वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 में प्रतिवादी अकलसिंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। इसके अलावा वादीगण की ओर से अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

8— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी पंचमसिंह (वा.सा.1) एवं अन्य साक्षी करनसिंह (वा.सा.2) की साक्ष्य कराई गई है। पंचमसिंह (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मूल पुरुष बरतू के नाम मौजा कंदई में कुल 8.88 एकड़ भूमि दर्ज थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त भूमि का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के मध्य हो चुका है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त बंटवारा अनुसार बिरजू एवं अकलसिंह को आधी-आधी भूमि प्राप्त हुई थी, उसके दस्तावेज उनके पक्ष में है जो प्रकरण में संलग्न नहीं है तथा वह उसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि बिरजू ने अपने हिस्से की विवादित भूमि में से 4.60 एकड़ भूमि प्राप्त की थी और शेष 4.60 एकड़ भूमि अकलसिंह को बंटवारा में मिली थी। इस प्रकार स्वयं वादी ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि मूल पुरुष बरतू से प्राप्त पैतृक भूमि में से उसके पुत्र बिरजू एवं अकलसिंह को आधी-आधी भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई थी।

9— वादीगण की ओर से साक्षी करनसिंह (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र में उल्लेखित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारगण के मध्य विवाद होने का लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से वादीगण को किसी प्रकार से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— वादीगण की ओर से उनके पिता बिरजू सिंह और प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता बरवार के मध्य हुए विभाजन के संबंध में वादपत्र में अभिवचन नहीं किया है। वादीगण ने पूर्व में हुए उक्त विभाजन के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और न ही विवादित भूमि के पूर्व के राजस्व अभिलेख पेश किये हैं, जिसमें बिरजू सिंह और बरवार के मध्य बंटवारा उपरांत अलग-अलग खसरा नंबर की भूमि दर्ज है। विवादित भूमि में वर्तमान खसरा फार्म वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 में प्रतिवादी अकलसिंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होने से यह उपधारणा की जा सकती है कि पूर्व में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अकलसिंह या उसके पिता बरवार को विवादित भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई थी। वादीगण ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे एवं विवादित भूमि के पूर्व राजस्व अभिलेख के तथ्य को छुपाते हुये असत्य एवं काल्पनिक आधार पर यह दावा पेश किया होना प्रकट होता है। यह साबित करने का भार



वादीगण पर था कि पूर्व में पैतृक संपत्ति का आंशिक बंटवारा हुआ था तथा विवादित संपत्ति का बंटवारा शेष था। उक्त तथ्य के संबंध में वादीगण ने न तो स्पष्ट अभिवचन किया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर है।

11— वादीगण की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने साक्ष्य पेश नहीं की है, इस कारण वादी का दावा स्वीकार किया जावे। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि वादी को स्वयं के बल पर अपना वाद प्रमाणित करना होता है तथा वह वाद प्रमाणन हेतु प्रतिवादी की किसी कमी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। वादीगण ने वाद में विवाद्यक से संबंधित आवश्यक अभिवचन का लोप कर तथा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर असत्य आधार पर दावा पेश किया जाना प्रकट होता है। वादीगण यह प्रमाणित नहीं किया है कि मूल पुरुष बरतू से प्राप्त पैतृक संपत्ति का पूर्ण बंटवारा न होकर पूर्व में आंशिक बंटवारा हुआ था। प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह उपधारणा की जा सकती है कि संपूर्ण पैतृक संपत्ति का मूल पुरुष बरतू के पुत्रगण बिरजू एवं बरवार के मध्य विभाजन हो चुका था। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि पूर्व विभाजन के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 को संपूर्ण पैतृक संपत्ति का आधा-आधा अंश प्राप्त हुआ है और उक्त विभाजन में प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि प्राप्त हुई थी।

12— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि विवादित भूमि पर उनका रकबा 0.64 एकड़ पर स्वत्व है। विवादित भूमि पर वादीगण के अवैध आधिपत्य के संबंध में राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में धारा-250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अंतर्गत आदेश पारित किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय द्वारा वादी पंचमसिंह के विरुद्ध विवादित भूमि से अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु बेदखली वारंट भी जारी होना प्रकट होता है। वादीगण ने विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से श्रेष्ठ हक व अधिकार प्राप्त होने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है, ऐसी दशा में वादीगण को राजस्व न्यायालय के बेदखली आदेश एवं वारंट को निरस्त किये जाने हेतु अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है और न ही वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 व 2 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

**सहायता एवं व्यय**

13— वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादीगण का वाद निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज़प्ति पारित की जाती है :-

- (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
  - (2) वादीगण स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।
- उपरोक्तानुसार आज़प्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)